प्रकरण संख्या 144/2024 सुन्दरलाल बनाम ललित व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.04.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पलानाखुर्द, तहसील मावली में आराजी नंबर 2861 से 2870 कुल किता 10 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि खतौनी संवत् 2063 से 2066 में पक्षकारों अर्थात वादी, प्रतिवादी संख्या 1 से 22 के पूर्वज स्वर्गीय रामप्रताप, स्वर्गीय चम्पालाल एवं स्वर्गीय रामचन्द्र पिता पन्नालाल महाजन के नाम अंकित है। तीनों सगे भाई होकर विवादित आराजियात में 1/3 हक से, प्रतिवादी संख्या 23 नाथूलाल का 1/3 व प्रतिवादी संख्या 24 मांगीलाल का 1/3 हिस्सा है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 23 के पूर्वज पन्नालाल जी का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 है। वादग्रस्त भूमि को भूतिया वाली जमीन के नाम से पुकारते हैं, इसमें से 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 24 मांगीलाल पिता नन्दकिशोर था, जो उन्होंने व उनके भतीजे लक्ष्मीलाल, सोहनलाल पिता हीरालाल ने अपना पूरा 1/3 हिस्सा बिल एवज 50/– रूपये में वादी के दादा स्वर्गीय पन्नालाल को विक्रय कर दिया था, जिसकी एक लिखतम होकर कब्जा क्रेतागण को सुपुर्द कर दिया। जिसके बाद विवादित भूमि के 2/3 भाग पर वादी के पिता, दादा व ताउ खातेदार काश्तकार हो गये, परन्तु राजस्व रेकार्ड में नामान्तरकरण नहीं खुलने से यह भूमि क्रेतागण के नाम दर्ज होने से रह गयी तथा विक्रेता नन्दकिशोर की मृत्यु पश्चात् उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 24 मांगीलाल जी के नाम 1/3 हिस्से से दर्ज हो गयी, जबकि कब्जा मांगीलाल का नहीं वादी के दादा पन्नालाल जी के समय से वादी का चला आ रहा है। पन्नालाल की मृत्यु पश्चात उसकी भूमि उनके चारों पुत्र अर्थात वादी के पिता रामचन्द व उनकी तीनों ताउ अर्थात भागचन्द, रामप्रताप व चम्पालाल के खाते दर्ज हुई। इस दौरान भागचन्द जी हत्या के अपराध में संयोजित हो जाने से उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया गया और समाज के दबाव से वादी के पिता व अन्य दोनों भाई रामप्रताप व चम्पालाल ने वादग्रस्त भूतिया नामी जमीन को अपना 2/3 हिस्सा स्वर्गीय भागचन्द की [illegible] तथा दूसरी भूमि जो	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:06:27 IST
Reason: SelfAttested

केराईवाली जमीन के नाम से कही जाती है, तीनों भाईयों ने अपने हिस्से में रख ली। इस आशय की एक लिखतम वादी के पिता ताउ के मध्य संवत 2027 में हुई। इसके बाद संवत् 2029 में इसी आशय की दूसरी लिखतम हुई, जिससे भूतिया वादी जमीन में भागचन्द के अलावा अन्य किसी भाई का कोई हक व अधिकार नहीं रहा। भागचन्द जी की सेवा चाकरी वादी के पिता स्वर्गीय रामचन्द्र जी ने की, जिससे प्रसन्न होकर भागचन्द जी ने अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति की वसीयत दिनांक 01.08.1972 को निष्पादित करा दी, जिससे भागचन्द जी की जमीन रामचन्द्र जी के कब्जे में आयी। इस प्रकार 2/3 हिस्से के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 14 तथा 1/3 हिस्से के प्रतिवादी संख्या 23 सहखातेदार हैं। किन्तु भूमि विक्रेता नन्द किशोर के नाम अंकित रह जाने से विरासत से उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 24 मांगीलाल के वारिसान प्रतिवादी संख्या 24/1 से 24/4 के नाम अंकित हो गयी, जिन्होंने बिना कब्जे के दिनांक 21.09.2010 को भूतिया जमीन का दिखावटी विक्रय सुरेन्द्रसिंह के पक्ष में कर दिया तथा सुरेन्द्रसिंह ने पुनः दिनांक 15.11.2010 को लेहरीलाल का कालू के नाम कर दिया, जिससे लेहरीलाल का कालू ने वादी की गैर मौजूदगी में जबरन ताकत के बल पर वादी के हिस्से की भूतिया वाली भूमि पर कब्जा कर लिया, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः विवादित आराजी नंबर 2861 से 2870 कुल किता 10 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि का उपरोक्तनुसार मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाकर वादी को 2/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 24 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में 6 तनकियां कायम की तथा दिनांक 05.11.2024 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील दिनांक 06.12.2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 31 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्रीमती निर्मला गर्ग

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:06:27 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को देखने मात्र से ज्ञात होता है कि पैरा संख्या 1 से 16 में हुबहु वाद पत्र की नकल की गयी है एवं पैरा संख्या 17 में जवाबदावा लिखा गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रदर्श 38–ए को अनरजिस्टर्ड माना है, जबकि उक्त दस्तावेज पर प्रत्यर्थीगण ने कोई एतराज भी नहीं उठाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रदर्श 6–ए को भी अनरजिस्टर्ड दस्तावेज माना है एवं आपसी पांती बंटवारे को नहीं माना है, जबकि इस संबंध में साक्ष्य पत्रावली पर है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड पर आयी साक्ष्य को नजर अंदाज करने हुए निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा अपीलान्ट/वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि वादी/अपीलान्ट ने साक्ष्यों से अपने वाद को साबित नहीं कराया है। अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्प्ड दस्तावेज साक्ष्य में ग्राहय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पर आयी साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अपीलान्ट/वादी द्वारा जिस दस्तावेजों के आधार पर विवादित भूमि की खातेदारी चाही जाकर विभाजन चाहा गया है, वह दस्तावेज सादे कागज पर होकर अपढ़नीय एवं अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है, जिसके आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। वादी का वाद स्वयं के पैरों पर खड़ा होता है, किन्तु वादी/अपीलान्ट ने इस संबंध में न तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं न ही इस न्यायालय में कोई ऐसी ठोस साक्ष्य प्रस्तुत की है, जिससे उसके वाद में किये गये कथनों को समर्थन प्राप्त हो सके। अधीनस्थ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:06:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर साधारण कागज पर लिखी गयी अनरजिस्टर्ड लिखा–पढ़ी तथा उसकी सत्यता हेतु कोई प्रमाण पेश नहीं किये जाने के कारण उक्त अनरजिस्टर्ड दस्तावेज को संदेहास्पद मानते हुए उसके आधार पर खातेदारी नहीं दिया जाना मानते हुए अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज किया है, जो प्रकरण पर उपलब्ध साक्ष्यों की रोशनी में प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 349/2007 निर्णय व डिक्री दिनांक 05.11.2024 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 08.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:06:27 IST
Reason: SelfAttested